संख्या-166/2024/आई/ 131032/001-41-**2099**-606-**2024-CN-1802679**

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 29 मार्च, 2024

विषयः- अनुदान संख्या 44 के ''लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार- 16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान '' मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11151/2-9(722)/का0/2013,दिनांक 18.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 44 के लेखाशीर्षक 3452- पर्यटन- 80- सामान्य- 800- अन्य व्यय- 14- पर्यटन नीति- 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन के मानक मद 20- सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) " मद , में हो रही बचत के सापेक्ष '' लेखाशीर्षक 3452- पर्यटन- 80- सामान्य- 800- अन्य व्यय- 03- पर्यटन सूचना एवं प्रचार- 16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान '' मद में रु0 253.00 लाख (रू0 दो करोड तिरपन लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या- 44 के लेखाशीर्षक 3452- पर्यटन- 80- सामान्य- 800- अन्य व्यय- 14- पर्यटन नीति- 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन के मानक मद 20- सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) " मद , में हो रही बचत के सापेक्ष '' लेखाशीर्षक 3452- पर्यटन- 80- सामान्य- 800- अन्य व्यय- 03- पर्यटन सूचना एवं प्रचार- 16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान '' मद में रु0 253.00 लाख (रू0 दो करोड तिरपन लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन के आदेश संख्या-आई/3531030/41-2099-606-2024-CN-1802679, दिनांक 29 मार्च 2024 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त धनराशि रु0 253.00 लाख (रू0 दो करोड तिरपन लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2024 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20232024-41-2099-606-2024-CN-1802679

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या- 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार- 16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान '' मद मे धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808001400 (पर्यटन नीति 2018 के अर्न्तगत पयर्टन इकाइयों को प्रोत्साहन)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	42,14,00,000 रुपये बयालीस करोड़ चौदह लाख मात्र	39,89,00,000 रुपये उनतालीस करोड़ नवासी लाख मात्र	2,53,00,000 रुपये दो करोड़ तिरपन लाख मात्र	2,53,00,000 रुपये दो करोड़ तिरपन लाख मात्र	39,61,00,000 रुपये उनतालीस करोड़ इकसठ लाख मात्र	2023-2024
कुल					₹ 2,53,00,000	₹ 2,53,00,000		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808000300 (पर्यटन सूचना और प्रचार)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान)	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	2,53,00,000 रुपये दो करोड़ तिरपन लाख मात्र	2,53,00,000 रुपये दो करोड़ तिरपन लाख मात्र	6,53,00,000 रुपये छह करोड़ तिरपन लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 2,53,00,000	₹ 2,53,00,000		

उपरोक्त पुनर्विनियोग धनराशि निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है - अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन के मानक मद 20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत रू0 4500.00 लाख में से रू0 225.00 लाख़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है एवं इस मद में रू0 3989.00 लाख शेष है जिसके सापेक्ष रू0 253.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है - वित्तीय वर्ष 2023-24 में "अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना एवं प्रचार-16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान" मद में उपलब्ध प्राविधानित धनराशि का उपभोग कर लिया गया है, विशेष सेवाओं के सापेक्ष माह मार्च, 2024 तक के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 2,53,00,000/- (रू0 दो करोड़ तिरपन लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मात्र) की आवश्यकता है। अतएव कृपया रू0 253.00 लाख का पुनर्विनियोग उपरोक्तानुसार 16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान मद में करने का कष्ट करें।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-851-E-7-776-X-2023-24-दिनांक:28-03-2024

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

(कुंवर मकरंद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या - आई/531030/41-2099-606-2024-CN-1802679, दिनांक 29 मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in